बिहार सरकार

बिहार सरकार
दिव्यांजन सशक्तिकरण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना–800001,
फोन नं0 0612–2200125 ई-मेल–diremppd-bih@gov.in

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति" के आमंत्रण की सूचना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' के संचालन हेतु योग्य एवं अनुभवी गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं से e-Proc2 के माध्यम से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं :–

क्र०	विवरण	दिनांक
1	अभिरूचि की अभिव्यक्ति संख्या एवं दिनांक	747 / 12.08.2026
2	'समाज कल्याण विभाग' की वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की सूचना की उपलब्धता की तिथि	14.08.2026
3	e-Proc2 की वेबसाईट https://eproc2.bihar.gov.in पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति की सूचना एवं दस्तावेज की उपलब्धता की तिथि	14.08.2026
4	अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रारंभ करने की तिथि	14.08.2026
5	Pre-Bid queries प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	25.08.2026 / 03:00 pm
6	Pre-Bid बैठक की तिथि एवं समय	27.08.2026 / 11:00 am
7	Non-Refundable निविदा/अभिरूचि की अभिव्यक्ति Processing शुल्क (TPF)	e-Proc2 Portal के अनुसार
8	अभिरूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि (अपराह्न 12 बजे तक)	04.09.2026
9	अभिरूचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि एवं समय	07.09.2026 / 11:00 am

अभिरूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित सूचना विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html** एवं संबंधित दस्तावेज e-proc-2 की वेबसाईट https://eproc2.bihar.gov.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग बिना कारण बताये प्रस्ताव/अभिरूचि की अभिव्यक्ति को किसी भी चरण में संशोधित करने अथवा पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार सर्वथा सुरक्षित रखता है।

10/8

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

- **Instructions to the bidders**

- **Completeness of Response**
  - Bidders are advised to study all instructions forms, requirements and other information in the EOI documents carefully. Submission of the bid shall be deemed to have been done after careful study and examination of the EOI document with full understanding of its implications.
  - The response to this EOI should be full and complete in all respects. Failure to furnish all information required by the EOI documents or submission of a proposal not substantially responsive to this document will be at the Bidder's risk and may result in rejection of its Proposal.
  - The response to the EOI submitted at e-procurement Portal. Bids submitted by any other method shall be rejected.

- **EOI Proposal Preparation Costs & related issues**
  - The bidder is responsible for all costs incurred in connection with participation in this process, including, but not limited to, costs incurred in conduct of informative and other diligence activities, participation in meetings/discussion/presentations, preparation of proposal, in providing any additional information required by Directorate of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) to facilitate the evaluation process.
  - DEPwD will in no case be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.

- **Other Terms and Conditions**
  - This EOI does not commit DEPwD to award a contract or to engage in negotiations.
  - Presentation by the qualified bidder will be reviewed by an evaluation committee of DEPwD and marks will be awarded by the committee based on the parameters mentioned in this document.

- **Pre-Bid Meeting**
  - DEPwD shall hold a pre-bid meeting with the prospective bidders, if required.

- **Responses to Pre-Proposal Queries and Issue of Corrigendum**
  - At any time prior to the last date for receipt of EOI, DEPwD may, for any reason, whether at its own initiative or in response to clarification requested by a prospective Bidder, modify the EOI Document by a corrigendum.
  - The Corrigendum (if any), or clarification to the queries from all bidders will be posted on the https://eproc2.bihar.gov.in.
  - Any such corrigendum shall be deemed to have been incorporated into this EOI.
  - In order to provide prospective Bidders reasonable time for taking the corrigendum into account or for any other reason, DEPwD may, at its discretion, extend the last date for the receipt of EOI Proposals.

- **Right to Terminate the Process**
  - DEPwD may terminate the EOI process at any time without assigning any reason. DEPwD makes no commitments, express or implied, that this process will result in a business transaction with anyone.
  - This EOI does not constitute an offer by DEPwD. The bidder's participation in this process may Result in short listing the eligible bidders.

- **Consortium**

  Consortium NOT ALLOWED
- **Submission of Responses**

- The EOI shall be submitted online of **https://eproc2.bihar.gov.in**.
- The e-tender submission module of e-tender portal **https://eproc2.bihar.gov.in** enables the Bidders to submit the proposal online against the EOI published by the DEPwD. Proposal Submission can be done only from the submission start date and time till the proposal submission end date and time given in the EOI. Bidders should start the Bid Submission process well in advance so that they can submit their proposal in time. The Bidders should submit their Bids considering the server time displayed in the e-tender portal. This server time is the time by which the Bid submission activity will be allowed till the permissible time on the last/end data of submission indicated in the e-tender schedule. Once the Bid submission date and time is over, the Bidders cannot submit their e-tender. For delay in submission of e-tender due to any reasons, the Bidders shall only be held responsible. The Bidders have to follow the following instructions for submission of their e-tender:

  For participating in e-tender through the e-tendering system, it is necessary for the Bidders to be the registered users of the e-tender portal **https://eproc2.bihar.gov.in**. The Bidders may contact Beltron office, Patna at the contact details available on e-tender portal for details regarding registration.

  For support related to e-tendering process, Bidders may contact at mentioned below:

  Toll Free No. 1800 572 6571,

  Email Id: - eproc2support@bihar.gov.in

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रण के लिए प्रपत्र

- **संस्था का नाम एवं पता :–**
- **संलग्न दस्तावेजों की सूची :–**

क्र0	विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या
1	संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 से निबंधन/पंजीकरण का प्रमाण–पत्र		
2	संस्था का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा–51 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय से निबंधन का प्रमाण–पत्र		
3	संस्था का भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर निबंधन का प्रमाण–पत्र		
4	संस्था का पूर्व में दिव्यांगजनों हेतु विशेष विद्यालय/आवासीय गृह/केन्द्र संचालन का कार्यानुभव		
5	अंकेक्षण प्रतिवेदन (पिछले तीन वित्तीय वर्षो का रू0 में जिसमें संस्था का प्रति वित्तीय वर्ष औसत करोबार न्यूनतम रू0 01 करोड़ या अधिक होना चाहिए)		
6	आयकर रिटर्न (पिछले तीन वित्तीय वर्षो का)		
7	वार्षिक प्रतिवेदन (पिछले तीन वित्तीय वर्षो का)		
8	संस्था का पैन कार्ड		
9	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र		
10	संस्था को न्यायालय/सरकार द्वारा बेदखल/ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है, इस आशय का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र (1000/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर)		
11	केन्द्र/राज्य सरकार/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं, आदि से प्राप्त पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र		
12	'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष' (CSR Fund) एवं अन्य बाह्य स्रोतों से संस्था द्वारा बैंक खाता में प्राप्त की गयी राशि एवं उक्त राशि के व्यय से संबंधित प्रमाण–पत्र		
13	दिव्यांगता प्रक्षेत्र में (विशेष रूप से मानसिक दिव्यांगता क्षेत्र में) कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र		

आवेदक का हस्ताक्षर

(1) परिचय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।

इस क्रम में से पटना जिले में 5–18 आयु वर्ग के मानसिक दिव्यांग बच्चों को पठन–पाठन के साथ–साथ कॉउसलिंग, स्पीच थैरेपी, सामान्य ज्ञान, खेल–कूद एवं कला आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कुल 50 छात्रों की क्षमता वाले दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' का संचालन गैर सरकारी संस्था माध्यम से कराया जा रहा है।

(2) अभिरूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण :–

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना जिले में 50 छात्रों की क्षमता वाले 5–18 आयु वर्ग के मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए एक दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' के संचालन हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट से e-Proc2 के माध्यम से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

(3) वांछित अर्हता :–

i. **संस्था का निबंधन/पंजीकरण प्रमाण पत्र :–**

(क) संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत निबधित/पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) संस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा–51 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय से निबंधित होनी चाहिए।

(ग) संस्था भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर निबंधित होनी चाहिए।

ii. **पूर्व में विशेष विद्यालय/केन्द्र/गृह संचालन का कार्यानुभव :–** आवेदक संस्था के पास अनिवार्य रूप से दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 2 वर्षो या उससे अधिक का विशेष विद्यालय/केन्द्र/गृह संचालन का अनुभव हो तथा जिसे सरकारी/अर्धसरकारी संगठन/स्वायत्त निकायों/कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा वित्त पोषण प्राप्त हो। संस्था को अनुभव संबंधित प्रमाण–पत्र (जिसमें गृह/विशेष विद्यालय का संचालन अवधि एवं वर्षवार लाभुकों की संख्या स्पष्ट हो) संलग्न करना होगा। संस्था वित्तीय रूप से सशक्त होनी चाहिए जो अनुदान के विलम्ब से भुगतान की स्थिति में भी परियोजना का भलीभाँति संचालन कर सके।

iii. **अंकेक्षण प्रतिवेदन :–** संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षो यथा वित्तीय वर्ष–2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 का चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सत्यापित UDIN नंबर सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा, जिसमें संस्था का प्रति वित्तीय वर्ष औसत कारोबार न्यूनतम रू0 01 करोड़ या उससे अधिक का होना चाहिए।

iv. **आयकर रिटर्न्स :–** संस्था को विगत तीन वित्तीय वर्षो यथा वित्तीय वर्ष–2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी।

v. **वार्षिक प्रतिवेदन :–** संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षो यथा वित्तीय वर्ष–2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 का वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।

vi. **पैन कार्ड :–** पैन कार्ड, जो संस्था के नाम से हो, संलग्न करना होगा।

vii. **12 (A) निबंधन प्रमाण–पत्र :–** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

viii. **अन्य निबंधन :–** संस्था भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निबंधित होना चाहिए।

ix. **नोटरी द्वारा शपथ पत्र (1000/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर) :–** संस्था को न्यायालय/सरकार द्वारा बेदखल/ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। शपथ–पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि का होना चाहिए।

नोट :– उपरोक्त कंडिका– i से ix में उल्लिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है।

3.1 अन्य बिन्दु :–

i. **अभिरूचि की अभिव्यक्ति** की एक प्रति को भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय, जिसके सभी पृष्ठों पर संस्था की मुहर के साथ स्वअभिप्रमाणित किया जाय। सभी संलग्न दस्तावेज स्व–अभिप्रमाणित होने चाहिए।

ii. **अन्य अनुभव** :– मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

iii. पिछले तीन वर्षों में 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (CSR Fund) एवं अन्य बाह्य स्रोतों से संस्था द्वारा बैंक खाता में प्राप्त की गयी राषि एवं संचालित गृहों/विशेष विद्यालयों में उक्त राषि के व्यय से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना वांछित है। इस बिंदु पर भी संस्था का आकलन किया जाएगा तथा इसके लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

iv. **अभिरूचि की अभिव्यक्ति के दस्तावेज का प्रमाणीकरणः**–अभिरूचि की अभिव्यक्ति के साथ समर्पित किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज, स्वच्छ एवं स्पष्ट मुद्रित होने चाहिए तथा यह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा मुहर सहित स्वहस्ताक्षरित (जहाँ संशोधन हो सहित) होगा; जो संस्था के प्राधिकार द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति समर्पित करने हेतु अधिकृत होंगे। यदि संस्था प्राधिकार स्वयं अपने हस्ताक्षर से अभिरूचि की अभिव्यक्ति समर्पित नहीं कर किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिये प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) संलग्न करना होगा। कंडिका–3 में उद्धृत सभी दस्तावेजों से संबंधित संलग्न चेकलिस्ट पूर्ण करते हुए इन दस्तावेजों में वांछित सूचनाओं को भी Highlight किया जाय। सभी दस्तावेजों को अनुक्रमवार रखने तथा Indexing करना अनिवार्य होगा।

v. मानसिक दिव्यांग बच्चों हेतु दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' के संचालन की अनुमति विभागीय स्तर से बंद होने अथवा इस योजना का हस्तांतरण अन्य किसी विभाग में होने की स्थिति में उक्त योजनान्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा 'चमन' के संचालनार्थ हस्ताक्षरित अनुबंध योजना बंद अथवा हस्तांतरण की तिथि से स्वतः समाप्त माने जायेंगे।

उपरोक्त निर्धारित अर्हता पर सभी आवेदक संस्थाओं का तकनीकी मूल्यांकन विभागीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(4) संस्था का चयन एवं कार्य आवंटन प्रक्रिया :–

i. तकनीकी रूप से सफल पाये गये संस्थाओं को विभागीय चयन समिति के समक्ष **प्रस्तावित कार्य–योजना पर प्रस्तुतीकरण देने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।** प्रस्तुतीकरण से संबंधित सभी दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रस्तुति के दौरान नियमानुसार मूल्यांकन मानदंडों में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था को कार्य–आदेश निर्गत किया जाएगा। मूल्यांकन मापदंड एवं अंक निर्धारण निम्नवत रहेगा :–

क्र०	मानदंड	निर्धारित दस्तावेज	अंक
1	संस्था सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 / भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 / दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा–51 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्त कार्यालय / निःशक्त व्यक्ति, 1995 की धारा–52 या दिव्यांगता कार्यालय / भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से निबंधित होना चाहिए।	निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति	-
	संस्था की निबंधन अवधि 5–7 वर्ष होने पर	–	5
	संस्था की निबंधन अवधि 7–10 वर्ष होने पर	–	7
	संस्था की निबंधन अवधि 10 वर्ष से अधिक होने पर	–	10

क्र०	मानदंड	निर्धारित दस्तावेज	अंक
2	संस्था का विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत कारोबार न्यूनतम 40 लाख का हो।	वार्षिक प्रतिवेदन/आयकर रिटर्न्स/अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति	-
	संस्था का औसत कारोबार 40–50 लाख का होने पर	–	2
	संस्था का औसत कारोबार 50–60 लाख का होने पर	–	4
	संस्था का औसत कारोबार 60–70 लाख का होने पर	–	6
	संस्था का औसत कारोबार 70–80 लाख का होने पर	–	8
	संस्था का औसत कारोबार 80+ लाख का होने पर	–	10
3	संस्था का दिव्यांगता प्रक्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव हो।	अनुभव संबंधित प्रमाण–पत्र की प्रति	-
	दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यानुभव 5–7 वर्ष होने पर	–	5
	दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यानुभव 7–10 वर्ष होने पर	–	7
	दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यानुभव 10 वर्ष से अधिक होने पर	–	10
4	संस्था का मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यानुभव हो।	अनुभव संबंधित प्रमाण–पत्र की प्रति	-
	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में 2–5 वर्ष का कार्यानुभव होने पर	–	5
	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में 5–10 वर्ष का कार्यानुभव होने पर	–	8
	मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव होने पर	–	10
5	संस्था के पास कुल 11 प्रकार के कार्यों हेतु कुल–32 प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध हो जिनमें न्यूनतम 5 कर्मियों का RCI से निबंधित होना अनिवार्य है।	शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के शैक्षणिक योग्यता/RCI से निबंधन प्रमाण–पत्र आदि की प्रति	-
	06–10 कर्मी RCI से निबंधित होने पर	–	3
	11–15 कर्मी RCI से निबंधित होने पर	–	5
	16 या उससे अधिक कर्मी RCI निबंधित होने पर	–	10
6	संस्था के पास अपना मकान होने पर	मकान का अक्षांक्षीय एवं देशांतरीय विवरणी	3
7	संस्था के राष्ट्रीय न्यास (National Trust) से निबंधित होने पर	निबंधन प्रमाण–पत्र	2
		अधिकतम (कुल अंक) :-	**55**

ii. चयनित संस्था एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के बीच मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों हेतु दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' के संचालन के लिए एकरारनामा किया जायेगा। एकरारनामा की शर्तों में, अभिरूचि की अभिव्यक्ति में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी समाहित

की जा सकती हैं। चयनित संस्था को एकरारनामा के समय EoI की अवधि की स्वीकृत राशि का 05 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा।

(5) वार्षिक प्रावधानित राशि :– 50 मानसिक दिव्यांग बच्चों के क्षमता वाले दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' के संचालन हेतु कुल वार्षिक प्रावधानित राशि आवर्ती मद में रू0 32,88,000/– (बत्तीस लाख अठ्ठासी हजार रूपये) एवं अनावर्ती मद में रू0 6,20,000/–(छः लाख बीस हजार रूपये) मात्र प्रावधानित है। इससे संबंधित मदवार विवरणी अनुसूची–1 में उदाहरण स्वरूप संलग्न की गयी है। इसके व्यय के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग के द्वारा बाद में दिया जायेगा।

दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' के संचालन के दायित्व से मुक्त होने की स्थिति में संस्था को विद्यालय संबंधी सामग्रियां सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना को सुपुर्द करना होगा।

(6) लाभुकों की पात्रता संबंधी मापदंड :–

- इस योजना का लाभ 5–18 वर्ष तक के आयु के मानसिक दिव्यांगता, शिक्षण दिव्यांगता (Learning Disability) से ग्रसित बच्चे, विशेष शिक्षण समस्या वाले बच्चों को देय होगा।
- योजना के लाभ हेतु मानसिक दिव्यांगता से तात्पर्य है–स्वपरायणता, (Autism), प्रमस्तिष्क अंगघात, (Cerebral Palsy), मानसिक मंदता (Mental Retardation) तथा उससे संबंधित अन्य दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता (Multiple Disabilities) आदि से ग्रसित बच्चे।
- इस हेतु लाभार्थियों के लिए आय की कोई अधिसीमा नही होगी।
- 50 से अधिक लाभार्थियों का नामांकन प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में अधिक प्रतिशत/गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(7) नामांकन की प्रक्रिया :–

- माता–पिता अथवा अभिभावक स्वयं ऐसे बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त लोकल लेवल कमिटी, स्नैक (स्टेट नोडल एजेन्सी), स्नैप (स्टेट नोडल एजेन्सी पार्टनर) अथवा जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना के अनुशंसा पर भी ऐसे विद्यालय में प्रवेश/नामांकन दिया जायेगा। नामांकन की सूचना हेतु प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराया जायगा। विद्यालय का सत्र जनवरी–दिसम्बर तक का होगा। नामांकन हेतु संबंधित जिले के सहायक निदेशक की अध्यक्षता में एक चयन समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा:–
    - सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग–**अध्यक्ष**
    - विद्यालय संचालन हेतु चयनित स्वयंसेवी संस्था के सचिव–**सदस्य**
    - समन्वयक –**सदस्य सचिव**
    - स्नैक –**सदस्य**
    - स्नैप –**सदस्य**

(8) शिक्षकों / कर्मियों की योग्यता :–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता	मानदेय
1	2	3	4	5
1	समन्वयक	01	(i) बैचलर इन मेंटल रिटारेडेशन (BMR) (ii)मानसिक मंदता में रेगुलर बी0एड0 तथा न्यूनतम छःवर्षो का कार्य अनुभव एवं MDPS (Madras Developmental Programme Schedule की जानकारी अनिवार्य । स्नातकोत्तर (एम0एड0, एम.आर) की डिग्री वाले की प्राथमिकता दी जायेगी ।	15000/–

2	विशेष प्रशिक्षक (Special Educators)	08	B.Ed(MR) या DRT विशेष प्रशिक्षक में डिप्लोमा या डिग्री एवम् 2 वर्षो का पुनर्वास कार्यो में कार्यनुभव, MDPS (Madras Developmental Programme Schedule की जानकारी अनिवार्य! मानसिक मंदता में बी0एड0 के डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जायगी।	12000/–
3	शिक्षण सहायक (Teaching Assist.int)	10	न्यूनतम इंटरमीडियट एवम् एक वर्षीय व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण (DVT) एवं MDPS में जानकारी अनिवार्य।	8000/–
4	कम्प्यूटर अनुदेशक (Computer Instructor)	02	न्यूनतम इंटरमीडिएट, सी0ए0डी0 कम्प्यूटर ट्रसंयमिटिंग डिवाइस) स्क्रीन रिडिंग सॉफ्टवेयर का अनुभव।	5000/–
5	आया	02	मैट्रिक एवम् केयर :गिवर का छःमाह का प्रषिक्षण	3000/–
6	अनुसेवक	01	आठवीं कक्षा उर्त्तीण एवमं साईकिल चलाने का ज्ञान	3000/–

अंशकालिक कर्मी :–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता	मानदेय
1	2	3	4	5
1	स्पीच थेरापिस्ट	01	ऑडियोलॉजी स्पीच लैग्वेज पैथोलॉजी (BASLP) में स्नातक ।	प्रति भ्रमण 250/–
2	पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (Rehabilitation Psychologist)	01	पुनर्वास मनोविज्ञान में M.A/M.Phil की डिग्री ।	प्रति भ्रमण 250/–

कार्यालय हेतु कर्मी :–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता	मानदेय
1	2	3	4	5
1	सहायक	02	स्नातक की डिग्री एवम् कम्पयूटर का ज्ञान	5.000/–
2	लेखापाल	01	बी0कॉम की डिग्री तथा प्रख्याता संस्थान में 2 वर्षो का कार्य अनुभव	5.000/–
3	सुरक्षा प्रहरी	03	सेवा प्रदाता एजेन्सियों (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से चयन /सेवानिवृत्त कर्मी को प्राथमिकता दी जायगी।	3.000/–

चयनित स्वयंसेवी सस्था इन्हीं मापदंडो एवम् योग्यता के आधार पर कर्मियों की सेवा विद्यालय हेतु उपलब्ध कराएगें प्रत्येक पद के लिए न्युनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। मात्र समन्वयक (Coordinator) हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक हो सकती है।

(9) शिक्षकों/कर्मियों के कार्य :–

क्र0	पदनाम	कार्य
1.	समन्वयक	i. सत्र हेतु पाठ्यक्रम तैयार करना एवं संचालित करवाना, विद्यालय के लिए

		विशेष गतिविधियों के कार्यक्रम तैयार करवाना। ii. अभिभावकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित करवाना। iii. विद्यालय के विशेष गतिविधियों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण। iv. व्यक्तिगत एवं समूह शिक्षण कार्य हेतु योजना तैयार करना, कार्यान्वित कराना एवं मूल्यांकन करना। v. लाइफ स्किल प्रशिक्षण का योजना बनाना साथ ही इसका कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन। vi. कक्षाओं में भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करवाना। vii. कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर लैब का पर्यवेक्षण। viii. एन0आई0ओ0एस0 (National Institute of Open School) परीक्षाओं को संचालित करवाना। ix. विशेष/अपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यकतानुरूप निर्णय लेना। x. प्रतयेक विद्यार्थी/लाभार्थी का शैक्षणिक एवं नैदानिक (Clinical) सूचना/जानकारी संधारित करना। xi. नामांकन संबंधी औपचारिकताओं का निर्वहन। xii. अभिभावकों एवं आगंतुकों से मिलना, समस्याओं को सुनना एवं निष्पादित करना।
2.	विशेष प्रशिक्षक	i. उद्देश्यपरक एवं वास्तविक Lesson Plan बनाना जिससे लाभार्थियों/बच्चों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने का अधिकाधिक लाभ मिले। ii. सभी बच्चों के विशेष बुद्धि क्षमता की पहचान करना एवं उसी अनुरूप कक्षा का शिक्षण कार्य संचालित करवाना। iii. आई०ई०पी० (Individual Education Plan) तैयार करना एवं टी०एल०एम० (Teaching Learning Material) विकसित करना। iv. विद्यार्थियों के समक्ष रोल मॉडल के रूप में कार्य करना। v. आवश्यकतानुरूप बच्चाों की बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक गतिविधियाँ तैयार करना। vi. बच्चों के प्रदर्शन का अनुश्रवण करना। vii. कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्य को संचालित करवाना।
3.	शिक्षण सहायक	i. सभी स्तर के बच्चों के लिए कार्य करने की तत्परता एवम् क्षमता, प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना एवं उसे कार्यान्वित कराना। ii. बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी कार्यो का अनुश्रवण कराना। iii. अन्य क्षमता प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराना। iv. विद्यालय के सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों के साथ बैठक कर यथा संभव सुझाव प्रदान करना। v. बच्चों को Daily Life Skills सिखाना तथा स्वयं सहायता संबंधी गतिविधियों को सिखलाना। vi. बच्चों को सृजनात्मक कार्यों में सहयोग देना। vii. बच्चों के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। viii. बच्चों की नितांत आवश्यक जरूरतों को पूरा करना तथा उनके सफाई एवम् समयबद्ध तैयारी पर ध्यान देना।

		ix. कक्षा में साफ–सफाई पर ध्यान रखना।
4.	स्पीच थेरापिस्ट	i. मुख के लिए विभिन्न व्यायाम एवम् प्रशिक्षण करवाना। ii. बच्चों के बोलने एवं भाषा संबंधी जाँच। iii. बच्चों के श्रवण क्षमता संबंधी जाँच। iv. माता–पिता को परामर्श देना/मार्गदर्शन देना। v. बच्चों को स्पीच एवम् ऑडिटरी प्रशिक्षण देना।

(10) संचालन एवम् अनुश्रवण पदाधिकारी :– इस योजना का संचालन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सषक्तिकरण कोषांग, पटना द्वारा किया जाएगा। संचालन का तात्पर्य है विद्यालय की सभी गतिविधियों हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि की निकासी कर चयनित स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध कराना। साथ ही विद्यालय में नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराना तथा नामांकन सुनिश्चित करवाना। विद्यालय संचालन का अनुश्रवण संबंधी प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक तिमाही में उनके द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह विद्यालय संचालन संबंधी मासिक प्रतिवेदन भी निदेशालय को अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अनुश्रवण पदाधिकारी चयनित स्वयंसेवी संस्था एवम् विभाग के बीच समन्वयक के रूप में दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(11) पाठ्यक्रम/गतिविधियों का संचालन :– इस विद्यालय के लिए आवश्यक गतिविधियों/पाठ्यक्रम का संचालन मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जायगा। नामांकित 50 बच्चों की वास्तविक स्थिति के आवश्यकतानुरूप विशेषज्ञों से परामर्श/निदेश प्राप्त कर इस पाठ्यक्रम/गतिविधि में संशोधन किया जा सकता है। यह भी संभव है कि 50 बच्चों के लिए अलग–अलग उनकी क्षमता के अनुरूप Individual Education Plan तैयार करना पड़ सकता है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं भाषा संबंधी पहलुओं का समावेश हो।

(12) विशेष प्रशिक्षण एवम् खेल–कूद की सामग्रियां :– बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण एवम् खेल–कूद की सामग्रियों का क्रय बच्चों के नामांकन के उपरांत उनकी दिव्यांगता प्रतिशत एवं व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जायगा।

(13) अनुदान:– दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार एक बार में प्रथम छमाही का अनुदान विमुक्त करेगा। छः माह के उपरान्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा समीक्षा एवं अनुश्रवण के उपरांत अगली किश्त संस्था को दी जायगी।

(14) भवन :– विद्यालय संचालन हेतु न्यूनतम 3000 वर्गफीट की भवन की उपलब्धता अनिवार्य होगी जो कि साफ–सुथरा एवं हवादार हो। यदि यह किराये के भवन में संचालित किया जाना है तो किरायानामा (Rent Agreement) देना अनिवार्य होगा।

(15) सामान्य अनुदेश :– इस विद्यालय में निम्नांकित मूलभूत सुविधाओं को बच्चों के लिए उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा–

i. विद्यालय परिसर यथा संभव बाधा रहित (Barrier free) हो।
ii. सभी फर्नीचर गोलाकार आकृति के हो।
iii. बच्चों का बैठने का डेस्क एवं टेबल लो फुट का होना चाहिए।
iv. ब्लैकबोर्ड भी लो फुट का होना चाहिए।
v. बच्चों को आवश्यकतानुरूप कागज, पेंसिल एवं कलर उपलब्ध कराना चाहिए।
vi. खिलौने एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सामग्रियों बच्चों के पहुँच के स्तर का होनी चाहिए।

vii. एक कमरे में यथा संभव मोटे दरी को बिछाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

viii. दीवार लेखन, चित्रकारी के माध्यम से सामान्य ज्ञान की बातें बच्चों को बताई जानी चाहिए।

ix. विद्यालय में नामांकित बच्चों को किसी भी प्रकार की परिवहन की सुविधा नहीं दी जायगी।

(16) <u>विद्यालय में नामांकित बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के प्रावधान</u> :– चयनित संस्था लाभुकों के देख–रेख के लिए मानसिक चिकित्सा संस्थान, आवश्यक रेफरल सेवा केन्द्रों, सरकारी/विशेष संस्थानों, परिचारक, मेडिकल दुकानों, विशिष्ट चिकित्सक, उपचार देखभालकर्त्ता इत्यादि से प्रभावी नेटवर्किंग की स्थापना करेंगे।

(17) <u>विद्यालय में नामांकित बच्चों को कानूनी सेवाओं के लिए प्रावधान</u> :–

i. विद्यालय में बच्चों के लापता/दुर्घटना होने अथवा उनकी मृत्यु की स्थिति में या किसी अन्य संबंधित मुद्दे में कानूनी प्रावधान के लिए चयनित संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। इसके परिणामस्वरूप चयनित संस्था के अनुबंध को नियमानुसार रद्द करने और उसे काली सूची में डालने आदि की कारवाई की जा सकती है।

ii. चयनित संस्था कानूनी प्रावधानों के अनुसार संकट/आपातकालीन स्थिति में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करेगी।

iii. चयनित संस्था विभिन्न कानूनों और विनियमों, यथा– मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों हेतु दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, 1999, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 या कोई अन्य कानून और केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य दिशा–निर्देश/अधिसूचना आदि का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(18) <u>लेखांकन</u> :–

i. संस्था को कार्य आवंटन होने के एक महीने के अंदर विशेष विद्यालय 'चमन' के परियोजनार्थ अनुसूचित बैंक में बचत खाता खोलना अनिवार्य होगा। चयनित संस्था को सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की राशि को उसमें संधारित करना होगा। इस खाते में जमा राशि एवं उससे प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि को जोड़कर केवल परियोजना उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।

ii. चयनित संस्था को नियमानुसार आयकर एवं अन्य संबंधित करों, वित्तीय प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन करना होगा।

iii. चयनित संस्था को समय–समय पर किए गए अंकेक्षण की अनुशंसा का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

iv. चयनित संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों का मानदेय/अन्य भुगतान केवल संबंधित कर्मियों के बैंक खाते में NEFT/RTGS /A/c Payee Cheque के माध्यम से किया जाय। किसी भी परिस्थिति में नकद हस्तांतरण स्वीकार्य नही होगा।

v. चयनित संस्था निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों या जिले के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना द्वारा निरीक्षण के लिए सभी तरह के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगी।

vi. सभी रिकॉर्ड संस्था के साथ अनुबंध की समाप्ति की तारीख से कम–से–कम अगले पाँच वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना होगा।

vii. विद्यालय में संधारण किये गये सभी संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है। तदनुसार संबंधित दस्तावेज किसी भी स्थिति में गुम न होने पाये एवं बिना अनुमोदन का इसे नष्ट करने का निर्णय संस्था स्वयं नहीं ले सकती है।

viii. इस आशय से संबंधित यदि किसी न्यायालय में कोई वाद–विवाद या मुकदमा हो तो वाद–विवाद या मुकदमा का पूर्ण निपटारा होने तक सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर संबंधित स्थानों पर उपलब्ध कराने की जवाबदेही संस्था की होगी।

(19) खाता–बही का संधारण, प्रलेखन एवं रख–रखाव :–

i. संस्था को अनुसूची–2 में वर्णित सभी दस्तावेजों का नियमित रूप से संधारण करना होगा तथा उक्त अनुसूची में वर्णित सूचना पट्ट, सुझाव/शिकायत पेटी आदि की भी नियमानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

ii. विद्यालय से संबंधित प्रतिवेदन, आँकड़ों, सूचनाओं इत्यादि सहायक निदेषक, जिला दिव्यांगजन सषक्तिकरण कोषांग, पटना को नियमित रूप से अद्यतन करने का दायित्व संस्था का होगा।

(20) कार्य अवधि एवं कार्य का नवीनीकरण :–

i. चयनित संस्था के साथ प्रथम अनुबंध की अवधि 12 माह अर्थात 1 वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक रहने पर इसके अवधि विस्तार करने के संबंध में विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने/विद्यालय संचालन के दौरान गंभीर आरोप अथवा प्राप्त शिकायत की सत्यता सिद्ध होने की स्थिति में अनुबंध को नियमानुसार निर्धारित समय से पूर्व भी निरस्त किया जा सकता है। साथ ही संस्था पर इस संबंध में बिहार सरकार/विभाग द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय एवं समय–समय पर किये गये आवश्यक संशोधन भी मान्य होंगे।

ii. संस्था द्वारा विद्यालय में नियमानुसार संपादित की गई गतिविधियों का आकलन सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना द्वारा किया जाएगा तथा उनके द्वारा अनुबंध नवीनीकरण/संस्था के अवधि विस्तार संबंधी अनुशंसा पत्र के आधार पर संस्था का अनुबंध नवीनीकरण/अवधि विस्तार किया जाएगा। यद्यपि इस संदर्भ में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना का निर्णय अंतिम होगा।

(21) अनुबंध पालन करने में विफलता :– अभिरूचि की अभिव्यक्ति और अनुबंध में वर्णित शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा और इन शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध को तत्काल निरस्त किया जा सकता है।

(22) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनका प्रबंधन :–

i. चयनित संस्था वर्णित अनुसूची के आधार पर आवश्यक योग्यता और अनुभव के अनुसार (बिहार सरकार के आरक्षण संबंधी नियमों का पालन करते हुए) कर्मचारियों को नियुक्त करना सुनिश्चित करेगी।

ii. सभी आवश्यक कर्मी स्वस्थ, व्यवहार कुशल और अनुशासित होने चाहिए। संस्था विद्यालय में तैनात कर्मियों/कर्मचारियों के आचरण तथा बच्चों के प्रति उनके दैनिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे।

iii. यदि विद्यालय का कोई कर्मी अवकाश लेता है तो ऐसी स्थिति में चयनित संस्था वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी विशेष कर्मी के अभाव में किसी भी स्थिति में संचालन में बाधा नहीं होनी चाहिए।

iv. चयनित संस्था सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना के पर्यवेक्षण (Supervision) में विशेष विद्यालय 'चमन' के कर्मियों का चयन करेगी।

v. चयनित संस्था किसी कर्मचारी को सकारण लिखित रूप में एक माह पूर्व नोटिस देने के बाद उनकी सेवा समाप्त कर सकती है। अगर कर्मचारी धोखाधड़ी, दुर्व्यवहार, वित्तीय गबन, भ्रष्टाचार आदि में संलिप्त पाये जाते हैं तो चयनित संस्था तत्काल प्रभाव से नोटिस की अवधि के बिना

संबंधित कर्मी की सेवा समाप्त कर सकती हैं। कार्यरत कर्मचारी भी चयनित संस्था को एक महीने का नोटिस देकर अपनी नियुक्ति या समझौते को समाप्त कर सकते हैं। चयनित संस्था बिना किसी पूर्व सूचना के 7 (सात) दिनों तक या उससे अधिक लगातार अनुपस्थित कर्मी का अनुबंध समाप्त कर सकती है।

vi. चयनित संस्था किसी कर्मी की सेवा समाप्ति से संबंधित अपनाई गई प्रक्रिया की सूचना औचित्य के साथ लिखित रूप में सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना को देगी।

(23) अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण :–

i. विद्यालय का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना मासिक रूप से विद्यालय का भौतिक अनुश्रवण कर संस्था सचिव/अधीक्षक को कार्यों में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक लिखित निदेश देंगे।

ii. चयनित संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक्स या स्व–हस्ताक्षरित दैनिक उपस्थिति पंजी में नियमानुसार ससमय दैनिक रूप से दर्ज हो।

iii. सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना द्वारा विद्यालय में संपादित किये जाने वाले गतिविधियों एवं केन्द्र में कार्यरत कर्मियों का अनुश्रवण सी.सी.टी.वी कैमरा, बायोमैट्रिक्स उपस्थिति मशीन आदि द्वारा किया जाएगा। चयनित संस्था इसमें अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी ताकि बिना किसी अवरोध के अनुश्रवण कार्य किया जा सके।

iv. संबंधित संस्था प्रत्येक महीने की पाँच तारीख को (विगत माह का) विद्यालय की गतिविधियों के कम–से–कम 20 फोटो के साथ विहित प्रपत्र में मासिक प्रतिवेदन सॉफ्ट कॉपी ई–मेल से एवं हार्ड कॉपी डाक/हाथों–हाथ संबंधित जिला के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना को भेजना सुनिश्चित करेगी।

v. विद्यालय में कार्यरत कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य बाह्य व्यक्ति या समूह का बिना अनुमति का विद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित होगा। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी आगंतुकों का संपूर्ण विवरण उद्देश्य के साथ आगंतुक पंजी में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

(24) विवाद निस्तारण :–

i. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि संस्था को इस निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो संस्था अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (जो भी वरीय पदस्थापित हों), समाज कल्याण विभाग के समक्ष अपील कर सकती है।

ii. विद्यालय से संबंधित सभी विवाद "पटना क्षेत्राधिकार" के अधीन होंगे।

(25) अन्य शर्तें :–

i. विद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की नकारात्मक सूचना/जानकारी का प्रचार–प्रसार अथवा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गलत जानकारी प्रसारित होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेवारी संचालक संस्था की होगी। उक्त स्थिति में संस्था पर नियमानुसार कार्रवाई या उनका अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

ii. किसी भी कारण से अनुबंध भंग होने की स्थिति में संचालक संस्था को सभी सामग्री सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना को वापस करनी होगी।

iii. विद्यालय द्वारा संपादित की जाने वाली संपूर्ण गतिविधियाँ, यथा – नामांकित बच्चों की सूची, कर्मियों एवं अंतःवासियों की दैनिक उपस्थिति आदि की अद्यतन जानकारी विद्यालय परिसर में महत्वपूर्ण स्थानों में सूचना पट्ट लगाकर पारदर्शिता के लिए प्रर्दशित करना होगा।

iv. चयनित संस्था विद्यालय में लाभान्वित हुए सभी बच्चों के प्रवेश की तिथि से विद्यालय छोडने की तिथि तक की सभी जानकारी साक्ष्य के साथ संधारित करेगी।

v. अभिरूचि की अभिव्यक्ति में वर्णित शर्त्तें यद्यपि यथावत रहेंगी किन्तु दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय यदि आवश्यक हो तो नियम और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार बिना कारण बताये सर्वथा सुरक्षित रखता है।

vi. चयनित संस्था विद्यालय के बैंक खाते में रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये) का आपातकालीन निधि रखना सुनिश्चित करेगी। साथ ही, आपातकालीन मामलों के लिए विद्यालय के समन्वयक या उनके नामित प्रतिनिधि अपने पास हमेशा रू0 20,000/–(बीस हजार रूपये) नकद उपलब्ध रखेंगे।

vii. चयनित संस्था को विद्यालय के हितार्थ वैसे कार्य भी (बिना अतिरिक्त राशि की माँग किये हुए) करने होंगे जो इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति या एकरारनामा में उल्लेख करना छूट गये हों। इस संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना का निर्णय अंतिम होगा।

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

अनुसूची–1

मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों हेतु दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' में वार्षिक प्रावधानित राशि की मदवार विवरणी

आवर्तक व्यय

(1) कार्यालय हेतु कर्मीः–

(राषि रू0 में)

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	मानदेय (प्रति माह)	मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	सहायक	02	5,000.00	10,000.00	1,20,000.00
2	लेखापाल (कम्प्यूटर का ज्ञान चाहिए)	01	5,000.00	5,000.00	60,000.00
3	सुरक्षा कर्मी	03	3,000.00	9,000.00	1,08,000.00
	कुल	**06**	**13,000.00**	**24,,000.00**	**2,88,000.00**

(2) शिक्षण कर्मीः–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	मानदेय (प्रति माह)	मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	समन्वयक (Coordinator)	01	15,000.00	15,000.00	1,80,000.00
2	विशेष शिक्षक (Special Educator)	08	12,000.00	96,000.00	1,15,2000.00
3	शिक्षण सहायक (Teaching Assistat)	10	8,000.00	8,000.00	9,60,000.00
4	कम्प्यूटर अनुदेशक	02	5,000.00	10,000.00	1,20,000.00
5	अंशकालिक स्पीच थेरापिस्ट (250 रू0 प्रति भ्रमण, प्रति सप्ताह दो बार)	01	5,000.00	5,000.00	60,000.00
6	अंशकालिक पुनर्वास मनोवैज्ञानिक	01	5000.00	5,000.00	60,000.00
7	अनुसेवक	01	3000.00	3,000.00	36,000.00
8	आया / केयर गिभर	02	3000.00	6,000.00	72,000.00
	कुल	**26**	**56,000.00**	**2,20,000.00**	**26,40,000.00**

(3) बी श्रेणी के शहर हेतु अन्य व्ययः–

क्र0	पद का नाम	संभावित मासिक व्यय	संभावित वार्षिक व्यय
1	**2**	**5**	**6**
1	भवन किराया (बी श्रेणी के शहर हेतु)	20,000.00	2,40,000.00
2	दिवाकालीन छात्रों के लिए मासिक व्यय	10,000.00	1,20,000.00
	कुल	**30,000.00**	**3,60,000.00**

विद्यालय संचालन हेतु वार्षिक आवर्ती व्यय (1+2+3)

2,88,000.00 + 26,40,000.00 + 3,60,000.00 = **32,88,000.00/-**

<u>अनावर्त्तक व्यय</u>

(4) फर्नीचर एवं उपकरण हेतु व्ययः–

क्र0	मद का नाम	रख–रखाव एवं संधारण हेतु संभावित वार्षिक व्यय	संभावित वार्षित व्यय (क्रय हेतु)	कुल संभावित वार्षिक व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	फर्नीचर	10,000.00	2,00,000.00	2,10,000.00
2	खेल–कूद की सामग्री	5,000.00	25,000.00	30,000.00
3	विशेष प्रशिक्षण सामग्री, विशेष प्रकार के खिलौने आदि	5,000.00	75,000.00	80,000.00
4	7 कम्प्यूटर	20,000.00	7x40,000= 2,80,000.00	3,00,000.00
	कुल	**40,000.00**	**5,80,000.00**	**6,20,000.00**

विद्यालय संचालन हेतु कुल अनावर्ती व्यय = 6,20,000.00/-

नोटः– सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पटना द्वारा मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों हेतु दिवाकालीन विशेष विद्यालय 'चमन' के भौतिक निरीक्षण के उपरांत प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संचालक संस्था को आवश्यक सामग्रीयों हेतु अनावर्ती व्यय के लिए प्रदान किया जाएगा। इस हेतु कोई नियमित समय सीमा निर्धारित नही होगी।

अनुसूची–2

विद्यालय संचालन से संबंधित संधारित किये जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य :–

1. नामांकित बच्चों की मास्टर पंजी।
2. आगत एवं निर्गत पंजी।
3. व्यक्तिगत सूचना पंजी।
4. रोकड़ पंजी।
5. लेखा संबंधित पंजी।
6. आगंतुक पंजी।
7. सुझाव/शिकायत पंजी।
8. कार्यान्वयन समिति के बैठक की कार्यवाही पंजी।
9. कर्मियों की उपस्थिति पंजी।
10. नामांकित बच्चों की उपस्थिति पंजी।
11. एक्टिविटी/इवेन्ट्स रिकॉर्ड (फोटो, सामाचार कतरन आदि)।
12. सुझाव/शिकायत पेटी।

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।